बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–1/पा0मे0–19–05/2009– 729(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 27/10/2023

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1) दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 के नियम–6 में निहित प्रावधान के आलोक में माधुरी सेवा न्यास, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, खगड़िया द्वारा संचालित श्यामलाल चन्द्रशेखर पारा मेडिकल संस्थान, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, पो0–कोशी कॉलेज, खगड़िया (बिहार) को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–625(1) दिनांक–03.09.2010 द्वारा दो वर्षों के लिए एवं विभागीय अधिसूचना सं0–229(1) दिनांक–25.02.2015 द्वारा श्यामलाल चन्द्रशेखर पारा मेडिकल संस्थान, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, खगड़िया को विभिन्न 6 (छः) विषयों में पूर्णतः अस्थायी तौर पर दिनांक–31.03.2016 तक के लिए पारा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता का अवधि विस्तार प्रदान करते हुए नये पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसका विवरणी निम्नवत् है–

क्र0 सं0	अवधि विस्तार से संबंधित पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (DOTA)	20 (बीस)
2	डिप्लोमा इन मेडिकल प्रयोगशाला टेक्निशियन (DMLT)	40 (चालीस)
3	डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्निशियन (DMRT)	20 (बीस)
4	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर (CMD)	50 (पचास)
5	डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट (DOA)	30 (तीस)
6	डिप्लोमा इन ई0सी0जी0 टेक्निशियन (DECG)	20 (बीस)

2– विभागीय अधिसूचना सं0–229(1), दिनांक–25.02.2015 द्वारा निम्नांकित पारा मेडिकल/पारा डेन्टल पाठ्यक्रमों में भी तत्काल दिनांक–31.03.2016 तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर पाठ्यक्रम संचालन करने की अनुमति प्रदान की गयी है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट
1	सी0डी0एम0	20 (बीस)
2	सी0डी0एच0	20 (बीस)
3	डिप्लोमा इन सेनिटरी इन्सपेक्टर	20 (बीस)

3– विभागीय अधिसूचना सं0–470(1) दिनांक–19.04.2018 द्वारा माधुरी सेवा न्यास, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, खगड़िया द्वारा संचालित श्यामलाल चन्द्रशेखर पारा मेडिकल संस्थान, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, पो0–कोशी कॉलेज, खगड़िया (बिहार) को

(क) निम्न पारा मेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अगले आदेश तक पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति निहित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी–

क्रमशः

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट
1	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (DOTA)	20 (बीस)
2	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन (DMLT)	40 (चालीस)
3	डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन (DMRT)	20 (बीस)
4	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर (CMD)	50 (पचास)
5	डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट (DOA)	30 (तीस)
6	डिप्लोमा इन ई0सी0जी0 टेक्नीशियन (DECG)	20 (बीस)
7	सर्टिफिकेट इन डेन्टल मैकेनिक (CDM)	20 (बीस)
8	सर्टिफिकेट इन डेन्टल हाइजिनिस्ट (CDH)	20 (बीस)
9	डिप्लोमा इन सेनिटरी इन्स्पेक्टर (DCI)	20 (बीस)

(ख) निम्न डिग्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंकित शर्तों के अधीन, प्रदान की गयी थी–

(1) बी0एस0सी0 ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट – 20 सीट
(2) बी0एस0सी0 एक्स–रे टेक्नीशियन – 20 सीट
(3) बी0एस0सी0 ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट – 20 सीट
(4) बी0एस0सी0 ई0सी0जी0 टेक्नीशियन – 20 सीट
(5) बी0एस0सी0 एम0एल0टी0 – 20 सीट

4– स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1) दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में माधुरी सेवा न्यास, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, खगड़िया द्वारा संचालित श्यामलाल चन्द्रशेखर पारा मेडिकल संस्थान, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, पो0–कोशी कॉलेज, खगड़िया (बिहार) के आवेदन की जाँचोंपरान्त जाँच दल द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित आदेश दिये जाते हैं:–

(i) पूर्व से संचालित 05 (पाँच) बैचलर पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के विवरणी अनुरूप सीट वृद्धि हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	**पाठ्यक्रम का नाम**	**पूर्व से स्वीकृत सीट**	**सीटों की वृद्धि**	**कुल सीट**
1	बैचलर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी	20	40	60
2	बैचलर इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी	20	40	60
3	बैचलर इन ऑफ्थलमिक टेक्नोलॉजी	20	40	60
4	बैचलर इन ई0सी0जी0 टेक्नोलॉजी	20	40	60
5	बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी	20	40	60

(ii) निम्नांकित नये बैचलर पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

क्रमशः

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी	60
2	बैचलर ऑफ हॉस्पीटल मैनेजमेंट	60
3	बैचलर ऑफ ऑकुपेशनल थेरापी	60

(iii) निम्नांकित पी0जी0 पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	मास्टर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी	20
2	मास्टर इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी	20
3	मास्टर इन ऑफ्थलमिक टेक्नोलॉजी	20
4	मास्टर इन ई0सी0जी0 टेक्नोलॉजी	20
5	मास्टर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी	20

5– स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन माधुरी सेवा न्यास, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, खगड़िया द्वारा संचालित श्यामलाल चन्द्रशेखर पारा मेडिकल संस्थान, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, पो0–कोशी कॉलेज, खगड़िया (बिहार) के द्वारा किया जायेगा।

6– संस्थान द्वारा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन लिया जायेगा।

7– संस्थान द्वारा अपने कार्यरत सभी फैकल्टी/कर्मियों के वेतन का भुगतान आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8– सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

9– भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में संस्थान की मान्यता वापस ले ली जायेगी।

10– संस्थान द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

11– इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26.10.23

(सुधीर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/पा0मे0–19–05/2009– 729(1) /स्वा0, पटना, दिनांक–27/10/2023

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, 'ई' गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियत्रंक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– AAG-9, महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पुराना बस स्टैण्ड के नजदीक, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, श्यामलाल चन्द्रशेखर पारा मेडिकल संस्थान, एन0एच0–31, परमानन्दपुर, खगड़िया–851205 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर निदेशक (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–1, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.10.23

सरकार के संयुक्त सचिव